पिछड़ी जातियों के सामाजिक विकास में पंचायतीराज की भूमिका

डॉ. राजेश कुमार कुशवाहा
समाजशास्त्र विभाग
पंडित रामकिशोर शुक्ल स्मृति शास. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, ब्यौहारी, शहडोल (म.प्र.)

सारांश

वर्तमान भारतीय समाज अनेक वर्गो में विभक्त है। अपने शुरुआती दौर में भी भारतीय समाज सामाजिक विकास के अनेक वर्गों में विभक्त था। सामाजिक विकास के साथ कुछ समूह अपेक्षाकृत कम विकसित हुये इनके अल्पविकसित होने के कारण इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं में निरंतर विकास होने से यह समूह निरंतर पिछड़ता गया, इस कारण पिछड़े व अगड़े समूह में समाज विभक्त हो गया पिछड़े समूह अपने विकास के लिये उतने जागृति नहीं हुये जितना होना था। इस कारण समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए आज काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष से कई समस्यायें पैदा होती हैं इन समस्याओं के हल के साथ ही उन्हें सामाजिक विकास भी करना पड़ता है, जिससे समाज में अपने को स्थापित कर सकें। पंचायतीराज व्यवस्था एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो ग्रामीण विकास के साथ गाँव के सभी वर्गो के विकास में सहयोग प्रदान कर रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र पिछड़ी जातियों के सामाजिक विकास में पंचायतीराज की भूमिका के माध्यम से पिछड़ी जातियों में हो रहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक विकास से संबंधित व्यवस्थाओं को संदर्भ में रखते हुये बारीकी से अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द - *पंचायती राज, सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास, पिछड़ी जाति एवं सामाजिक विकास*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

भारत में पंचायतीराज की अति प्राचीन पृष्ठभूमि रही है, यद्यपि इनका स्वरूप पृथक-पृथक रहा है। अनेक विद्वानों के अध्ययन क्षेत्र यह स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व पंचायतें अलग-अलग स्तरों पर राज्य के विभिन्न रजवाड़ों में क्रियाशील थी, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र सीमित था और लोकतांत्रिक स्वरुप भी अनिश्चित किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसमें एकरूपता लाने के लिये ही भारतीय संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम 1992 पारित हुआ। इसके पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नये युग का सूत्रपात हुआ और पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।[1]

पंच, पंचायत व परमेश्वर प्राचीन भारतीय समाज के ऐसे प्रेरक तत्व थे जिनकी सर्वदेशीय व्यापकता पुरातन इतिहास में हर जगह दिखती है। यद्यपि भारतीय स्वशासी संस्थाओं का काल निर्धारण संभव नहीं है फिर भी भारतीय इतिहास के प्रारंभ से ही इसकी पूर्ण विकसित संरचना निम्न तर स्तर तक विद्यमान थी। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय तक ये पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाईयों के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही हैं।[2]

भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभिन्न समुदायों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व अन्य क्षेत्रों में काफी प्रगति की है किन्तु स्वतंत्रता से अछूता ही है, हालाँकि इस दिशा में शासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में इनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है फिर भी जितना लाभ इन्हें मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पा रहा है। आजादी के पूर्व पिछड़ी जातियाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं से ग्रसित थीं इनका जीवन अत्यंत कठिनाईयों से बीतता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शासन के प्रयासों से आज स्थिति यह है कि इनमें भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में थोड़ी बहुत प्रगति देखने को मिलती है। पिछड़ी जातियों के सार्वभौमिक विकास के लिये अनेक प्रावधान बनाये गये हैं, प्रत्येक क्षेत्रों में इनके लिये स्थान सुरक्षित रखकर इनको अनेक सुविधायें दी गयी है, इन सुविधाओं के कारण इनकी सहभागिता बढ़ रही है। पंचायतों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गो के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है।[3] पंचायतीराज व्यवस्था सम्पूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी है।[4] इस व्यवस्था को लागू हुये एक दशक से अधिक हो चुका है, इस व्यवस्था के द्वारा शासन के जो उद्देश्य है वे पूरे हो रहे है कि नहीं, क्या इन्हें अधिकार देना है कि नहीं, पंचायतें अपनी योजनाओं को कहा तक क्रियान्वित कर पा रही है, इस व्यवस्था के द्वारा गाँवों का कितना विकास हुआ, गाँव के विकास में पंचायतें कितनी सार्थक साबित हो रही है, ग्राम पंचायतें अपने कार्य नि:स्वार्थ भाव से कर रही है, गाँव के सभी वर्गो विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गो के विकास में पंचायतें कितना सहयोग दे रही हैं, ग्राम पंचायतें अपने गाँव के विकास से संबंधित सुविधायें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, यातायात आदि में कितना योगदान दे रही हैं, ग्राम पंचायतें गाँव में फैली कुरीतियों जैसे छुआछूत, भेदभाव, ऊँच-नीच आदि से छुटकारा दिलाने

में इनका कितना सहयोग हैं। गाँव के लोग अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक है व उनका पंचायतीराज व्यवस्था के प्रति कितना झुकाव बढ़ रहा है विशेषकर पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा पिछड़ी जातियों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजनैतिक सहयभागिता आदि को ध्यानमें रखने के साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा विकास से संबंधित किये गये कार्य कितने प्रभावी है, इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत अध्ययन का चुनाव किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य -

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से पिछड़ी जातियों के सामाजिक विकास में हुये परिवर्तनों को देखना है साथ ही उनके विकास में आने वाली समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिये पिछड़ी जातियाँ कितनी जागरूक हैं। इस व्यवस्था के तहत इन वर्गों में नवीन विकास व समस्याओं के अध्ययन शोध के मुख्य उददेश्य है।

शोध प्रविधि -

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ी जाति से संबंधित उत्तरदाताओं में से यह देखा गया है कि कुछ उत्तरदाता अशिक्षित है तथा अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते है इस बात को ध्यान में रखते हुये इसका चुनाव किया गया है साथ ही द्वितीयक स्त्रोत अध्ययन से संबंधित शासकीय अभिलेख, शोध आलेख, शोध संबंधित पुस्तकें व अन्य साधनों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र-

प्रस्तुत शोध पत्र पिछड़ी जातियों के सामाजिक विकास में पंचायतीराज की भूमिका रीवा जिले पर आधारित है रीवा जिले का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिले में सभी वर्गों के साथ-साथ पिछड़े वर्गो की बाहुलता है सम्पूर्ण जिले के पिछड़ी जातियों में से केवल पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़े हुये निर्वाचित सदस्यों में से तीन सौ पंचायत सदस्यों का चुनाव निदर्शन पद्धाति से किया गया और इन्हीं उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण करते हुये शोध अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है।

अध्ययन का महत्व-

वर्तमान समय में जिस स्थिति में समस्यायें है इन सब की जड़ अतीत में ही थी, लेकिन इसका परिणाम वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है और इस समस्या का हल नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इन समस्याओं में से एक समस्या पिछड़ी जातियों की है इन वर्गो के उत्थान, प्रगति व चेतना का विकास करके उनको उचित अधिकार प्रदान करना। वास्तव में सदियों से शोषित दबे

हुये, इन वर्गो को ऊपर उठाने के लिये शासन द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही है। आरक्षण के द्वारा इनको हर जगह स्थान दिया जा रहा है जिससे इन वर्गो का भी विकास हो सकें। अध्ययन के द्वारा यही देखने का प्रयास किया गया कि इस वर्ग के लोग अपना कितना विकास कर चुके है। देश व प्रदेश में किस प्रकार की भागीदारी निभा रहे हैं, उनमें क्या दोष या कमियाँ है। उन्हें किस प्रकार दूर कर अधिकतम लाभ इन वर्गों तक पहुँचाया जाय।

पंचायतीराज एवं सामाजिक परिवर्तन-

समाज गतिशील है, परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो, जो परिवर्तन से प्रभावित न हुआ हो। सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज व सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है, परिवर्तन समाज और जीवन का आधार है।[5] परिवर्तन के संबंध में जेन्सन का कहना है कि व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले संशोधनों को सामाजिक परिवर्तन के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।[6] जेन्सन की जो परिभाषा दी गई है इसके अनुसार परिवर्तन की विशेषतायें निर्धारित की जा सकती है-

इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद पिछड़ी जातियों के विचारों, व्यवहारों, कार्य करने के तरीकों व सामाजिक संबंधों में क्या कोई परिवर्तन हुआ। यह जानने का प्रयास किया गया, जिसे तालिका क्रमांक 01 में देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 01

परिवर्तन आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01.	परिवर्तन हुआ	225	75
02.	परिवर्तन नहीं हुआ	75	25
	योग -	300	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद 25 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद उनके व्यवहारों, विचारों व सामाजिक संबंधों में कुछ परिवर्तन हुआ है।

सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है दूसरे शब्दों में इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है की परिवर्तन किस दिशा में होगा, कितना होगा, इसके क्या परिणाम होगें, इसका कौन सा रूप कितना

प्रभावपूर्ण होगा। इस संबंध में निश्चित रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन निरंतर और अनिश्चित होता है।[7] इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद पिछड़ी जातियों के विचारों, व्यवहारों व सामाजिक संबंधों, में जो परिवर्तन हुआ है। उसके बारे में जानने का प्रयास किया गया है कि इनमें कितना परिवर्तन हुआ है जिसे निम्न तालिका क्रमांक 02 में देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 02

	विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण		
क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01.	विचारों में परिवर्तन	80	35.56
02.	व्यवहारों में परिवर्तन	72	32.56
03.	सामाजिक संबंधों में परिवर्तन	73	32.44
	योग -	225	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 35.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचारों में परिवर्तन, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं के व्यवहारों में परिवर्तन व 32.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हुआ। तथ्यों के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधिकत्तर उत्तरदाताओं क विचारों में परिवर्तन हुआ।

विचारों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में पड़ता है व्यक्ति का विचार जिस तरह का होगा वह अन्य लोगों के साथ व्यवहार भी उसी तरह करेगा। समाज के सभी लोगों के साथ सामंजस्य व सहयोग बना रहे इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति का व्यवहार सरल व शालीनपूर्वक होना चाहिए, अगर व्यक्ति का व्यवहार सरल व शालीनतापूर्वक नहीं है तो समाज उसे पसंद नहीं करता, अर्थात् उससे व्यक्ति दूरी बनायें रखते हैं और अगर व्यवहार सरल एवं शालीनतापूर्वक है तो व्यक्ति उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। समाज में व्यक्ति को प्रस्थिति व इज्जत पाने के लिये व्यवहारिक होना अति आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह जानने का प्रयास किया गया कि समाज में उत्तरदाताओं के व्यवहार अच्छे है कि नहीं, इसे निम्न तालिका क्रमांक 03 में प्रदर्शित किया है:-

तालिका क्रमांक 03

सामाजिक व्यवहार के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	समाज में सभी से व्यवहार अच्छें हैं	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	261	87
02.	नहीं	39	13
	योग -	300	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सामाजिक व्यवहार अच्छे है, जबकि 13 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि समाज में सभी लोगों के साथ उनके व्यवहार अच्छे नहीं है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के सामाजिक व्यवहार अच्छे हैं।

समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित एक व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज एक व्यवस्था है और इसका निर्माण अनेक सामाजिक संबंधों के कारण होता है। सामाजिक संबंधों को परिभाषित करते हुए **मैक्स वेवर** लिखते हैं, सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो।

मैक्स वेवर की जो परिभाषा दी गई है, इसके अनुसार सामाजिक संबंधों की निम्न विशेषताएँ निर्धारित की जा सकती है:-

1. अनेक कर्ता होने चाहिए
2. इन कर्ताओं में परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार होना चाहिये तथा
3. ये दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करें।[8]

इस प्रकार एक व्यक्ति जब क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से प्रत्युत्तर की अपेक्षा भी करता है, इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण में योगदान देती है।[9] सामाजिक संबंधों की अन्तर्वस्तु कई प्रकार की हो सकती है, जैसे-सहयोग, संघर्ष, आकर्षण, भिन्नता व आर्थिक विनिमय आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक संबंध व्यक्ति के अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकते है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि

पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद पिछड़ी जातियों के प्रति लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। क्या पिछड़ी जातियों के सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुये वह इनके अनुकूल है कि नहीं, क्या समाज के लोगों का इनके प्रति दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ कि नहीं, क्या समाज में चली आ रही रुढ़िवादी व्यवस्था में कोई बदलाव आया कि नहीं, या इनके सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आया क्या इनके प्रतिकूल है। इसे निम्न तालिका क्रमांक 04 में देखा जा सकता है:-

तालिका क्रमांक 04

संबंधों (अनुकूल/प्रतिकूल) के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01.	सामाजिक संबंध अनुकूल हुए	247	82.33
02.	सामाजिक संबंध प्रतिकूल हुए	53	17.67
	योग -	300	100

तालिका क्रमांक 04 के तथ्यों से स्पष्ट है कि 82.33 प्रतिशत लोगों के सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुये वे उनके अनुकूल है, अर्थात् समाज के सभी वर्गों का सहयोग उनको मिलता है, जिससे वे कार्यों का संपादन सही तरीकों से कर पाते हैं। किन्तु 17.67 प्रतिशत लोगों के सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुए वे इनके अनुकूल नहीं थे, इनका समाज के अन्य व्यक्तियों (वर्गों) से संबंधों में शिथिलता आयी और आपसी सहयोग, मेल-मिलाप, भाईचारा व विश्वसनीयता में कमी आयी। कारण यह है कि लोगों की अपेक्षाएँ पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ने के बाद और बढ़ गयी, जिनकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं हो पाता, इस कारण से सामाजिक संबंधों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

समाज व्यक्तियों के आपसी संबंधों से निर्मित एक व्यवस्था है।[10] इस व्यवस्था में व्यक्ति के संबंध भी अलग-अलग होते है, वह इन्हीं संबंधों के कारण ही प्रत्येक व्यक्तियों से अलग-अलग संबंध रखता है। किसी से मित्रता का संबंध, शत्रुता का संबंध, कटुता का संबंध, भाईचारे का संबंध, रिश्तेदारी का संबंध आदि कई प्रकार के संबंधों में व्यक्ति बधा हुआ रहता है।

इन संबंधों में एक संबंध उच्च व पिछड़ी जातियों के बीच पाए जाने वाले ऊँच-नीच का संबंध है उच्च जाति के लोगों ने हमेशा पिछड़ी जातियों के लोगों का शोषण किया है, इन जातियों के संबंधों में कभी-कभी एकता का भाव नहीं दिखाई देता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के कारण उच्च जाति के व्यवहारों व विचारों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन परिवर्तनों

को क्या पिछड़ी जाति स्वीकार कर रही है। पिछड़ी जातियाँ अपने अधिकारों के हनन व भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण सामान्य जातियों के प्रति कैसी भावना रखते हैं। कारण पिछड़ी जातियों में आई नवीन चेतना के कारण इनके विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही उत्तरदाताओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि पिछड़ी जातियाँ उच्च जातियों के प्रति कैसी भावना रखती है, निम्न तालिका क्रमांक 05 में देखा जा सकता है-

तालिका क्रमांक 05

उच्च जाति के लोगों के प्रति उत्तरदाताओं की भावना संबंधी विचार

क्रमांक	उच्च जाति के लोगों के प्रति कैसी भावना रखते हैं	संख्या	प्रतिशत
01.	श्रद्धा एवं निष्ठा	48	16
02.	सामान्य	252	84
	योग -	300	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च जातियों के प्रति सामान्य भाावना रखते है। 16 प्रतिशत उत्तरदाता श्रद्धा एवं निष्ठा की भावना रखते है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बहुलांश उत्तरदाता उच्च जाति के लोगों के प्रति सामान्य भावना रखते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है, व्यक्ति की जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था होगी, रहन-सहन होगा। उसी प्रकार उसके विचार भी होगें। आज समाज में बहुत परिवर्तन हो चुका है। इससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, इस प्रभाव के कारण ही लोगों के विचारों, व्यवहारों व रहन-सहन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन समाज के विकास के लिये अच्छा अवसर प्रदान किया है जो प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष-

निष्कर्ष रूप में यह ज्ञात हुआ कि पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़े पिछड़ी जाति के सदस्यों को कार्य करने में कई तरह से कठिनाईयाँ आती हैं, कार्य सरलता से नहीं हो पाते जगह-जगह अधिकारियों का असहयोग, समाज का असहयोग, भेदभाव पूर्ण व्यवस्था, गलत कार्यों को प्रोत्साहन आदि जैसी कठिनाईयों के कारण इस व्यवस्थाा में बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी इसमें जुड़ने के लिये पिछड़ी जातियाँ तत्पर हैं, उनका कहना है कि यह एक अच्छी शुरूआत है कि सभी वर्गों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण जनता में भी जागरूकता का विकास हुआ और इससे

छुआछूत व भेदभाव पूर्ण व्यवहारों में पर्याप्त सुधार हुआ। इस व्यवस्था में जुड़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व ग्रामीण विकास से संबंधित विकासमुखी कार्यो की जानकारी प्राप्त हुई। इस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (जैसे- कृषि श्रमिक, भूमिहीन कृषक, लघु कृषक, ग्रामीण दस्तकार आदि) के हितों को ध्यान में रखकर कार्यो को करने का मौका मिला, इस व्यवस्था के माध्यम से अपने समाज व गाँव का विकास कर सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि पंचायतीराज व्यवस्था में अधिकाधिक लोगों की रूचि बढ़ती जा रही है, साथ ही राजनीतिक दल भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के विस्तार हेतु काफी इच्छुक दिख रहे हैं। पिछड़ी जातियों के विकास में पंचायतीराज व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण योगदान है, इससे पिछड़ी जातियों के विकास के साथ ही ग्रामीण विकास को गति मिली है।

संदर्भ सूची-

1. डॉ. पन्त, डी.सी. (2002) *भारत में ग्रामीण विकास,* कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ. 134.
2. प्रो. गुप्ता, एम.एल. एवं डॉ. शर्मा, डी.डी. (2004) *समाजशास्त्र,* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ.120.
3. डॉ. बघेल, डी.एस. (2005) *राजनैतिक समाजशास्त्र,* विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली, पृ.372
4. डॉ. बघेल, डी.एस. (2005) *राजनैतिक समाजशास्त्र,* विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली, पृ.371
5. डॉ. बघेल, डी.एस. (2008) *सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन,* कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 341.
6. डॉ. बघेल, डी.एस. (2008) *सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन,* कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 342.
7. डॉ. बघेल, डी.एस. (2007) *समाजशास्त्र,* कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 165.
8. प्रो. गुप्ता, एम.एल. एवं डॉ. शर्मा, डी.डी. (2003) *समाजशास्त्र,* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 36.
9. प्रो. गुप्ता, एम.एल. एवं डॉ. शर्मा, डी.डी. (2003) *समाजशास्त्र,* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 36.
10. डॉ. बघेल, डी.एस. (2007) *समाजशास्त्र,* कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 29.

———

वृद्धों के समक्ष पारिवारिक समायोजन की चुनौतियाँ

डॉ. शाहेदा सिद्दीकी

प्राध्यापक समाजशास्त्र

शास. टी.आर.एस. उत्कृष्टता संस्थान

रीवा (म.प्र.)

सारांश

बुजुर्गों की देखरेख में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवार एक ऐसी अद्भुत संस्था है जो विभिन्न आयु और पीढ़ियों के बीच संबंध बनाए रखती है। किन्तु अब परिवार का रवैया बुजुर्गों के प्रति बदला है। वृद्धों के समक्ष पारिवारिक समायोजन की चुनौतियाँ उभरी हैं। इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए मैंने अध्ययन क्षेत्र के रूप में भोपाल नगर का चयन किया है। भोपाल नगर के 100 वृद्धों को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से तथ्य संग्रहण हेतु न्यादर्श के रूप में चुना गया है। वृद्धजनों में पारिवारिक समायोजन का अभाव

मुख्य शब्द- *पारिवारिक समायोजन,भारत में वृद्ध, वृद्धों की चुनौतियां, कल्याण कारी कार्यक्रम ।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्